दिनांक :

प्रति,

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

मा. केंद्रीय गृहमंत्री, भारत शासन, देहली.

विषय : गोरक्षक श्री. चेतन शर्मा, श्री. विकास गोमसाळे और श्री. मयूर विभांडीक पर प्राणघातक आक्रमण करनेवाले धर्मांधों पर कठोर कार्यवाही करने तथा अवैध पशुवधगृह बंद करने के संबंध में .....

महोदय,

वर्ष २०१५ में सत्ता में आने के पश्चात महाराष्ट्र शासन ने शीघ्रता से गोवंश हत्या प्रतिबंधक कानून बनाया । इस कानून के कारण गोवंश हत्या और गोतस्करी बंद होने की अपेक्षा थी; परंतु वास्तव में ऐसा होता दिखाई नहीं देता । इसके विपरीत गोरक्षकों पर आक्रमण बढ रहे हैं । यह अत्यंत चिंताजनक है तथा गोमाता की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाकर लडनेवाले गोरक्षकों के प्राणों को संकट में डालनेवाले निम्नांकित प्रसंग निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं । उदाहरण के लिए केवल दो ही प्रसंगों का यहां उल्लेख कर रहे हैं ।

१. श्री. चेतन शर्मा पर ३५० से अधिक धर्मांध कसाइयों के समूह ने किया हुआ प्राणघातक आक्रमण : दिनांक २४ जून २०१९ की रात बदलापुर, ठाणे के गोरक्षक श्री. चेतन शर्मा (सदस्य, 'पीपल्स फॉर एनिमल एंड एनिमल वेल्फेयर बोर्ड ऑफ इंडिया') ३५ से अधिक पुलिसकर्मियों को लेकर अवैध पशुवधगृह के विरोध में कार्यवाही करने के लिए गए थे । उस समय उनपर ३५० से अधिक धर्मांध कसाइयों के समूह ने प्राणघातक आक्रमण किया । इसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तथा चिकित्सालय में गहन चिकित्सा विभाग में हैं ।

गोरक्षक चेतन शर्मा पुलिसवालों के साथ गए थे, तब धर्मांध कसाइयों ने उनके सिर में लोहे का सरिया मारा; परंतु उस अवस्था में उन्होंने सावधानी बरतते हुए स्वरक्षा के लिए स्वयं की पिस्तौल से हवा में गोलीबारी की । इसलिए कसाई पीछे हट गए । श्री. चेतन पर इससे पूर्व भी धर्मांधों ने अनेक बार प्राणघातक आक्रमण किए थे; परंतु वे उसमें सुरक्षित बच गए । उक्त घटना के समय धर्मांधों ने पुलिस पर भी आक्रमण किया । इस आक्रमण में पुलिस के वाहन के कांच भी फूट गए तथा श्री. शर्मा का बचाव करते समय पुलिस को भी चोट पहुंची ।

इतनी बडी संख्या में पुलिस होते हुए भी कसाइयों का किसी व्यक्ति पर आक्रमण करने का साहस होता है तथा कसाई पुलिस पर हाथ उठाने और उनके वाहन तोडने की हिम्मत करते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि कसाइयों को किसी का भय नहीं रह गया है ।

२. श्री. विकास गोमसाळे और श्री. मयूर विभांडिक इन गोरक्षकों पर किया हुआ प्राणघातक आक्रमण : दिनांक १८ जून २०१९ की रात ९ बजे गोरक्षक श्री. विकास गोमसाळे एवं श्री. मयूर विभांडिक की रिक्षा वडजाई रोड से जा रही थी, तब अमजद मुल्ला के लडके ने देशी पिस्तौल सिर पर लगाकर रिक्शा रोकी । तत्पश्चात ८० से अधिक धर्मांधों ने उनपर प्राणघातक आक्रमण किया । इस समय 'गोमांस का धंधा चौपट हो रहा है, इनको खत्म कर दो', यह कहते हुए इनकी बहुत मारपीट की । उसमें वे गंभीर रूप से घायल हैं । उनके हाथ की सोने की अंगूठियां, गले की जंजीर, जेब से नगद राशि, भ्रमणभाष आदि सामग्री बलपूर्वक छीन ली गई ।

३. इससे पूर्व भी मालेगांव (नाशिक, महाराष्ट्र) के गोरक्षक श्री. मच्छिंद्र शिर्के पर भी प्राणघातक आक्रमण किया गया ।

४. दिनांक ९.११.२०१५ को मूडबिद्री (कर्नाटक) में गोरक्षक प्रशांत पुजारी की धर्मांधों ने हत्या कर दी ।

५. वर्तमान कानून में दंड के लिए कठोर व्यवस्था न होने के कारण अधिकांश प्रकरणों में आरोपियों को तत्काल जमानत मिल जाती है तथा आगे चलकर भी वे इसी प्रकार के गैरकानूनी कृत्य करते रहते हैं । इससे स्पष्ट होता है कि गोहत्या करनेवाले तथा गोतस्करों को कानून का भय नहीं रह गया है । गोवंश की रक्षा करने के लिए पुलिस की सहायता हेतु गोरक्षक सदैव तत्पर रहते हैं । इसलिए गोरक्षों की रक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है ।

६. देश में हिन्दूबहुलता और गोहत्या प्रतिबंधक कानून होते हुए भी गोमाताओं की हत्या एवं गोमांस का व्यापार आज भी प्रशासन नहीं रोक पाया है । वर्ष १९४७ में गोधन ९० करोड था, अब वह केवल २-३ करोड शेष रह गया है तथा १२८ देशी गायों की जाति में से केवल १८ जातियां शेष हैं । आज भी गोमाताओं की रक्षा के लिए वर्तमान में गोरक्षक प्राणों की बाजी लगाकर प्रयत्न कर रहे हैं । अनेक बार गोहत्या करनेवाले कसाई अवैध शस्त्रों सहित गोरक्षकों पर आक्रमण करते हैं, ये कानून व्यवस्था का भय न होने का लक्षण कह सकते हैं ।

*** इस संबंध में हमारी निम्न मांगे हैं –**

१. गोरक्षक सर्वश्री. चेतन शर्मा, श्री. विकास गोमसाळे और श्री. मयूर विभांडीक पर आक्रमण करनेवाले धर्मांधों पर कठोर कार्यवाही की जाए ।

२. देशभर में अनेक गोरक्षकों पर हुए आक्रमणों के प्रकरण में शासन विशेष जांच दल स्थापित करे तथा इस प्रकरण के सूत्रधारों को ढूंढकर उन पर कार्यवाही करे ।

३. देशभर के अवैध पशुवधगृह तत्काल बंद करने के लिए शासन कठोर कदम उठाए ।

४. देशभर में गोवंश हत्या प्रतिबंधक कानून तत्काल लागू किया जाए तथा उसपर कठोरता से अमल किया जाए ।

५. जिन राज्यों में गोवंश हत्या प्रतिबंधक कानून लागू है, उस कानून में दंड अधिक कठोर बनाए जाएं तथा गोमाता की रक्षा के लिए प्राण संकट में डालनेवाले गोरक्षकों की नियुक्ति कानून के सहायक के रूप में की जाए ।

आपका विश्वासपात्र,

संपर्क :